न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 157/2016

उनवान

1. सरपंच ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत भवानीखेडा, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1. मुकेश,
2. राकेश पि0 कुन्दन सिंह जाति चीता नि0 नि0 खापरी भवानीखेडा,
3. मोती,
4. लाला पि0 छोगा,
5. झमकू पत्नी लाडू,
6. गीता पुत्री लाडू,
7. फूली पत्नी मंगला,
8. रतन पुत्र मंगला,
9. रूकमा पत्नी लाला,
10. महेन्द्र,
11. सोहन पि0 लाला,
12. शंकर पुत्र मोटा जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
13. आपू पुत्री मोटा पत्नी हेमा जाति रावत नि0 कानाखेडी, नसीराबाद,
14. पांची पुत्री मोटा पत्नी नामालूम जाति रावत नि0 देराढू, नसीराबाद
15. लाडी पत्नी जस्सा
16. भागचन्द,
17. फूलचन्द पि0 जस्सा (फौत),

17/1. इन्द्रा पत्नी फूलचन्द
17/2. गोविन्द
17/3. संजय
17/4. ललिता
17/5. लक्ष्मी पि0 फूलचन्द

18. मीरा पत्नी रामा,
19. सुशीला बाई,
20. तारा बाई पुत्री रामा,
21. नरेन्द्र पि0 रामा, समस्त जाति रावत नि0 बालुपुरा, अजमेर,
22. जमनी देवी पुत्री दूदा, पत्नी नामालूम,
23. प्रेमीदेवी पुत्री दूदा पत्नी नामालूम जाति रावत नि0 गुडा, अजमेर,
24. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 18 से 20 अधिवक्ता श्री सुखदेव चोधरी, 24 जरियें राज0 पैरोकार 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत, शेष अनुपस्थित

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.5.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम वादी एक ग्राम पंचायत राजकीय निकाय है, जिसका कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अनुच्छेद 40 के अनुसार गठन हुआ है व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी भूमि निहित की गई है, जिसके सबंध में जन हित में किसी भी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है व विधिक व्यक्ति की हैसियत से वाद कने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम भवानीखेडा के चौसाला खसरा नम्बर 1513 रकबा 0–12–0 की आराजी राजू पुत्र धन्ना व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 23 के पूर्वजों की संयुक्त अविभाजित है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 1949 व 1950 का एकमात्र खातेदार राजू पुत्र धन्ना जाति रावत है। राजू की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 08.06.1985 द्वारा उसकी विरासत पत्नी झमरी पत्नी राजू के नाम दर्ज की गयी। झमरी ने अपनी सहमती व स्वेच्छा से जन हित में खसरा नम्बर 1950 रकबा 0–12–0 ग्राम पंचायत भवानीखेडा के नाम किया जो नामान्तकरण संख्या 228 दिनांक 19.03.88 व नामान्तकरण संख्या 230 दिनांक 19.03.88 से आबादी दर्ज हुआ। वंर्किग रिकार्ड में राजस्व कार्मिको की त्रुटी से उक्त आराजी झमरी पत्नी राजू की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 3 से 23 के नाम अंकित हो गयी। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये हाल खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.19 में से प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिनांक 28.06.13 को अपना 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से का बैचान कर हाल जमाबंदी में नामान्तकरण दर्ज करवा लिया। ग्राम पंचायत को उक्त भूमि प्रापत होने पर जनहित में एक भवन निर्माण करवाया जो कि करीब 0–10–0 भूमि पर निर्मित है। उक्त भवन यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया को किराये पर दे रखा है। इनके सामने ग्राम पंचायत ने दुकाने भी निर्मित कर रखी है। शेष भूमि खाली है जिसका फायदा उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने मिलकर कब्जा कर लिया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय के समक्ष नक्शा तरमीम करने हेतु वाद पेश किया है। जिसमें वादी ने पक्षकार बनकर अपना पक्ष रखा है। राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा को हाल जमाबंदी में आबादी दर्ज कर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 18 से 20 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये उनके द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। चौसाला खसरा नम्बर चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 238/239 में चौसाला खसरा नम्बर 1513 रकबा 0–12–0 राजू पुत्र धन्ना व अन्य सहखातेदार के नाम खातेदारी अंकित है। चौसाला खसरा नम्बर 1513 के वंर्किग खसरा नम्बर 1950 रकबा 0–12–0 बने है। जो वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 299/30 में राजू पुत्र धन्ना की एकल खातेदारी में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 08.06.85 जरिये विरासत उक्त आराजी झमरी पत्नी राजू के नाम खातेदारी अंकित हुयी। नामान्तकरण संख्या 228 दिनांक 19.3.88 से उक्त आराजी सिवायचक व नामान्तकरण संख्या 230 दिनांक 19.3.88 से सिवायचक से आबादी दर्ज हुआ। उक्त सभी इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी में अंकित है। नामान्तकरण संख्या 228 में तहसीलदार नसीराबाद के आदेश कमांक भू0अ0/23 दिनांक 3.2.88 से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज की गयी है जो नामान्तकरण संख्या 228 के कालम संख्या 14 में अकित है। नामान्तकरण संख्या 230 के कॉलम संख्या 14 में उक्त आराजी उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश कंमाक/1984–87 दिनांक 15.2.88 से उक्त आराजी आबादी दर्ज करने के आदेश हुये। वंर्किग खसरा नम्बर 1950 के हाल खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.19 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी का बैचान कर दिया है। जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी आधार के परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। वादी ने उक्त आराजी पर भवन व दुकाने भी निर्मित की है। शेश आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किया गया कब्जा भी अतिकमण की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी संख्या 18 से 20 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने समुचित अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिरक्षा में जवाब पेश नही किया है। शेष प्रतिवादी भी प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी का वादग्रस्त सम्पदा पर कोई हक व अधिकार नही बनता है। वादी एक सार्वजनिक सस्था है। उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखिय दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। अतः वादी इन्द्राज दुरूस्ती व बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2431 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के 0.10 खातेदारी से आबादी खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे व खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.10 की भूमि पर अतिकमी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सरपंच ग्राम सेवक बनाम मुकेश वगै

दावा बाबत :- 88, 188, 183 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 157/2016
पेश करने की दिनांक – 7.09.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई अभिभाषक सीताराम रावत, सुखदेव चौधरी राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2431 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के 0.10 खातेदारी से आबादी खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे व खसरा नम्बर 2431 मिन रकबा 0.10 की भूमि पर अतिक्रमी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद